

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 37 /2021

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. कपिल कुमार पुत्र भंवरलाल जाति जैन निवासी रोहिडा का पाडा, बाड़मेर (मैसर्स गोतम चन्द धारीवाल एण्ड क0 कृषि मण्डी बाड़मेर का मैनेजर)
2. गोतम पुत्र भंवरलाल जाति जैन निवासी करमू जी की गली, बाड़मेर (मैसर्स गोतम चन्द धारीवाल एण्ड क0 कृषि मण्डी बाड़मेर का मालिक)
3. नवीन कुमार पुत्र मांगीलाल निवासी झिंझीनियाली, जैसलमेर (मैसर्स माँ कृपा ट्रेडिंग कम्पनी, कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का मालिक)
4. नवनीत कुमार डारेक्टर फर्म मैसर्स कॉम्फी ऐग्रो फूड प्राईवेट लि0 दुकान नं0 672, मैन बाजार, जायतू, फरीदकोट, पंजाब
5. भगवती राय डारेक्टर फर्म मैसर्स कॉम्फी ऐग्रो फूड प्राईवेट लि0 दुकान नं0 672, मैन बाजार, जायतू, फरीदकोट, पंजाब

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।
3. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर



आदेश

दिनांक : 25.04.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म मैसर्स गोतम चन्द धारीवाल एण्ड क० कृषि मण्डी बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 09.03.2021 को 1-1 लीटर के दो जार में विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड कॉम्फी (1 लीटर जार में से), को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 ग्राम घी ब्राण्ड कॉम्फी (1 लीटर जार में से) के कुल 4 बोतल वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1329 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड कॉम्फी (1 लीटर जार में से) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड कॉम्फी (1 लीटर जार में से) का नमूना अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।



प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 19.03.2021 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया। प्रस्तुत परिवाद घी ब्राण्ड कॉम्फी (1 लीटर जार में से) से संबंधित है, जिसमें Butyro-refractometer reading at 40° C 40.00 to 43.00 के मुकाबले 44.97 पाया गया है जो कि मानक स्तर

का नहीं है। अप्रार्थीगण को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, की गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 पर संयुक्त रूप से रूपये 1,00,000/- एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 पर संयुक्त रूप से रूपये 2,50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर